कार्यालय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा

क्रमांक / जि.वि.से.प्रा. / 2019 / 156 दिनांकः 04/10/2019

:: विज्ञप्ति ::

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के परिपत्र क्रमांक / 12 दिनांक 23 / 09 / 2015 एवं पत्र क्रमांक / 10027–10061 दिनांक 06 / 10 / 2015 तथा 11771–11805 दिनांक 10.07.2017 में दिये गये निर्देशानुसार एव पत्र क्रमांक. 26081–26111 दिनांक 13 / 09 / 2019 में दिये गये निर्देशो की पालना में माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय) दौसा के आदेशानुसार दौसा जिले के लवाण पंचायत समिति मुख्यालय के लिए 03 पैरा लीगल वॉलेन्टियर का मनोनयन कर नवीन पैनल तैयार करने बाबत् पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

चयनित पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स को आगामी 01 वर्ष की अवधि के लिये विधिक सेवा केन्द्रों पर कार्य संपादित किये जाने बाबत् लगाया जायेगा तथा 01 वर्ष की अवधि में उनका कार्य संतोषजनक पाये जाने पर उनके कार्य की अवधि आगामी 06 माह तक के लिये बढायी जा सकती है :–

1. **पात्रता** :– आवेदक का लवाण पंचायत समिति क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है। (संबंधित पंचायत समिति मुख्यालय से पात्र अभ्यर्थी की अनुपलब्धता एवं आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी को नियुक्त किया जा सकता है।) आवेदन उपयुक्त व्यक्ति, शासकीय / अर्द्धशासकीय / स्वायत्त शासन सेवा, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय आदि के सेवानिवृत्त व्यक्ति, आंगनबाडी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, विधि छात्र–छात्राऐं, महिला संगठनों के सदस्य, महिला स्वयं सेवा समूह के सदस्य, पंचायत राज और नगरपालिका / निगम संस्थाओं के स्वैच्छिक कार्यकर्तागण, एनएसएस यूनिट के कार्यकर्तागण आदि करने के पात्र होंगे। (ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक एवं वकालत क्षेत्र से जुडा हुआ है, वह पैरा लीगल वॉलेन्टियर के लिये पात्र नहीं होगा।)
2. **शैक्षणिक योग्यताः**– आवेदक को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उतीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की कुल मिलाकर अच्छी व व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिए।
3. **आवेदन पत्रः**– इस परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये प्रफोर्मा में प्रस्तुत करना होगा।
4. **परीक्षाः**– निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदकों का साक्षात्कार लिया जाकर सफल आवेदकों का पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स के लिए मनोनयनकिया जायेगा। चयनित पैरालीगल वॉलेन्टियर्स को प्रशिक्षण दिया जावेगा।
5. **चरित्रः**– आवेदक द्वारा दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच / सचिव के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो आवेदक के सम्बन्धी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
6. **शारीरिक योग्यताः**– आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ्य होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होना चाहिए।
7. **आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किये जावेः–**
   - जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की अथवा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

- शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।
- दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
- आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिए।
- आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास की सत्यापित प्रति।
- किसी भी न्यायालय में कोई फौजदारी प्रकरण लंबित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र।
- 2 लिफाफे साईं 10 X 24 से.मी. आकार के 5/–रू. के डाक टिकिट व स्वयं के पूर्ण पते सहित।

8. अण्डरटेकिंगः–चयनित पीएलवी संबंधित स्कीम व उनको दिये गये उत्तरदायित्वों की सीमा तक ही अपनी कार्यशैली को नियंत्रित रखेंगे व किसी प्रकार का विभागीय दुरूपयोग नहीं करेंगे, इस बाबत् अण्डरटेकिंग दिया जाना अनिवार्य होगा।

9. हटाया जाना या पदच्युत किया जाना :–

- विधिक सेवा योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग नहीं देना तथा रूचि नहीं रखना।
- दिवालिया घोषित हो जाना।
- किसी अपराध का अभियुक्त होना।
- पैरा लीगल वॉलेन्टियर के रूप में कार्य करने के लिये शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाना।
- राजनैतिक पार्टियों से संबंध रखना।
- अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरूपयोग कर चुका हो कि उसका पैरा लीगल वॉलेन्टियर के रूप में कार्य करना, लोकहित में प्रतिकुल प्रभाव डालने वाला हो।

10. आवेदन की अन्तिम तिथिः– आवेदन पत्र इस कार्यालय/कार्यालय संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति में दिनांक 12.10.2019 **को सायं 05.00 बजे तक** जमा करवाये जा सकते है। इस तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियॉं अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

11. **मनोनयन प्रक्रियाः**– पी.एल.वी. मनोनयनकरते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो उन्हें शोर्टलिस्टिंग कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा तथा चयनित पीएलवी को पूर्णतः अस्थाई रूप से विधिक सेवा केन्द्रों पर कार्य निष्पादन हेतु लगाया जावेगा।

12. <u>मनोनीत पी.एल.वी. के कर्तव्य (डयूटी):</u>

- **समाज के कमजोर वर्ग के लोगो को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना।**
- **आम नागरिकों के विवादों को** जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका **विधिक सेवा समिति,राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण** व राष्ट्रीय विधिक सेवा **प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिए** निस्तारित किये जाने की जानकारी **देना।**
- **पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षैत्र में होने** वाले कार्यो पर नजर रखना व **अन्याय होने की स्थिति में जरिए दूरभाष संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण** को लिखित में या **मौखिक रूप से अवगत कराना।**
- **पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल व द.प्र.सं. की धारा 357–ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत जानकारी देना।**
- **जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तालुका विधिक** सेवा समिति द्वारा अधिकृत किये जाने **पर जेल, लॉकअप, मनोरोग अस्पताल ,सम्प्रेषण गृह** का निरीक्षण करना व उन्हें विधिक **अधिकारों से अवगत कराना।**

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
दौसा जिला दौसा (राज.)

- ❖ बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार सम्बन्धी अधिनियमों की अवज्ञा (वोयलेशन) होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था को जानकारी देना,
- ❖ विवादों का सेटलमेन्ट, प्रिलीटीगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता, मीडिएशन के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना।
- ❖ पी.एल.वी. द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति को उनके क्षैत्र में होने वाले विधिक सेवा कार्यक्रमो व शिविरों की जानकारी देना।
- ❖ पी.एल.वी. द्वारा आम जनता को यह भी जानकारी दी जायेगी कि स्थाई लोक अदालत द्वारा विवादों का निस्तारण, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ, दूरसंचार, विद्युत सप्लाई, वाटर सप्लाई, बीमा, व अस्पताल सम्बन्धी आदि सेवाओं के विवाद कम खर्च मे निस्तारित होते है।
- ❖ पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षैत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं सम्बन्धी उपलब्ध कराये गये मेटेरियल को प्रचार व प्रसार करना ।
- ❖ पीएलवी द्वारा प्रत्येक विधिक सेवा केन्द्र पर किये गये कार्यो का पूर्ण विवरण निर्धारित रजिस्टर में संधारित किया जायेगा।
- ❖ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा समय–समय पर बताये गये कार्य को निर्धारित समय पर पूर्ण कर उसकी रिपोर्ट उपलब्ध करवाना।

13. **स्पष्टीकरण:–** यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों का अपने आवेदन पत्र में पी. एल.वी. के कार्य हेतु इच्छुक अंकित करना आवश्यक है। आवेदन पत्र मे यह भी अंकित करना होगा कि आवेदक किस स्थान (विधिक सेवा केन्द्र का नाम) पर पी.एल.वी. का कार्य करना चाहता है। **यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चयनित पी.एल.वी. को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दौसा द्वारा समय–समय पर नियत (फिक्स) मानदेय के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या पेकेज नहीं दिया जायेगा।**

नोट:– आवेदनकर्ता संलग्न प्रारूप में आवेदन करें।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला–दौसा

क्रमांक: 6607 - 6618 दिनांक: 4/10/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, दौसा।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर, दौसा ।
4. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, दौसा।
5. विकास अधिकारी पंचायत समिति मुख्यालय, लवाण
6. अध्यक्ष बार संघ, दौसा।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, दौसा।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, दौसा
9. क्षेत्रीय उपनिदेशक, महिला बाल विकास विभाग, दौसा
10. जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी दौसा।
11. नोटस बोर्ड जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा।
12. नोटिस बोर्ड बार एसोसिएशन दौसा
13. सिस्टम आफिसर, जिला एवं सैशन न्यायालय, दौसा को प्रति भेज कर D.J Court की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला–दौसा

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा

पैरालीगल वॉलियन्टर (पी॰एल॰वी॰) हेतु आवेदन पत्र

पासपोर्ट
साईज फोटो
स्वयं के
हस्ताक्षरयुक्त

1. आवेदक का नाम :– ....
2. पिता/पति का नाम :– ....
3. जन्म तिथि :– ....
4. शैक्षणिक योग्यता :– ....
5. विशेष योग्यता :– ....
6. अनुभव :– ....
7. स्थायी पता :– ....
....
8. वर्तमान पत्राचार पता :– ....
....
9. दूरभाष व मोबाईल संख्या :– ....

आवेदक के हस्ताक्षर

–:सहमति पत्र:–

मैं .... पुत्र/पुत्री ....निवासी .... विधिक सेवा केन्द्रों पर संचालित होने वाले कार्यों के लिए पैरालीगल वॉलियन्टर (पीएलवी) की सेवाएं देने बाबत अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

मैं पीएलवी संबंधित स्कीम व मुझको दिये गये उतरदायित्वों की सीमा तक ही अपनी कार्यशैली को नियंत्रण रखूंगा तथा किसी प्रकार का विभागीय दुरूपयोग नही करूंगा। मेरा कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो मुझे बिना किसी पूर्व सूचना/नोटिस के पैरालीगल वॉलेन्टियर के कार्य से हटाये जाने का पूर्ण अधिकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दौसा को होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्नः–